न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 51/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/179)

1. सुखराम उम्र 52 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल
2. राकेश उम्र 25 वर्ष पुत्र प्रहलाद
3. रामखिलाड़ी उम्र 50 वर्ष पुत्र रामबल

समस्त जाति गुर्जर निवासी खवारावजी, तहसील नांगलराजावतान, जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. पूनी देवी उम्र 70 वर्ष पत्नि भजन्या
2. पप्पू उम्र 35 वर्ष पुत्र भजन्या
3. बाबूलाल उम्र 37 वर्ष पुत्र भजन्या
4. भूली उम्र 55 वर्ष पुत्री श्रीनारायण
5. लक्ष्मणसिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र भजन्या
6. विश्राम उम्र 60 वर्ष पुत्री श्रीनारायण
7. हरकेश उम्र 40 वर्ष पुत्र भजन्या

समस्त जाति गुर्जर निवासी खवारावजी तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।

8. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नांगलराजावतान जिला दौसा।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान दिनांक 20.07.2022 जो मुकदमा नंबर 31/2022 अनुवानी पूनी देवी बनाम राजस्थान सरकार धारा 128 एल आर एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री योगेश माकड़, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :–15.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, नांगलराजावतान, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 20.07.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 12.07.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगलराजावतान, जिला दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर ग्राम खवाराजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 2546 रकबा 0.90 है0, खसरा नम्बर 2547 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 2550 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 2551 रकबा 0.42 है0 की पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2022 को प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा को उक्त खसरा नम्बरों की सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया गया।

3. उपजिला कलक्टर, नांगलराजावतान, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 20.07.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी सुखराम पुत्र कन्हैयालाल वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 20.07.2022 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पो नंबर 1 लगा0 7 ने बिना अपीलान्ट पडोसी खातेदार प्रभावित व्यक्ति को पक्षकार बनाये बिना निहायती झूठे तथ्यों के आधार पर एक प्रार्थना पत्र धारा 128 एल. आर. एक्ट का अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम खवारावजी, तहसील नांगलराजावतान, जिला दौसा में कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 2546 रकबा 0.90 है0, खसरा नंबर 2547 रकबा 0.06 है०, खसरा नंबर 2550 रकबा 0.18 है०, खसरा नंबर 2551 रकबा 0.42 है0 स्थित है । जिसके प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार व मालिक व स्वामी है जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि से किसी दीगर का कोई लेना देना वास्ता सरोकार नही है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि से फसल पैदावार करते है और प्रार्थीगण अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारो और मिटटी की कच्ची डोली जानवरो से अपनी फसल सुरक्षार्थ जब भी लगाते है तो पडौसी खातेदारान उसको तोड देते है जिससे प्रार्थीगण की भूमि की फसल को अवारा जानवर नष्ट कर देते है प्रार्थीगण ने आस पास के खातेदारान को कई बार समझाया लेकिन वे नहीं मानते है और प्रार्थीगण से लगातार विवाद किया जाता है। इसलिये प्रार्थीगण की भूमि पर श्रीमान न्यायालय के माध्यम से सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगडी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर वर्तमान में काश्त कर रहे है । परन्तु अन्य पडौसी खातेदारो द्वारा बिना वजह से प्रार्थीगण को हैरान व परेशान किया जा रहा है ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। और उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर याचना चाही किं सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की भूमि आराजी खसरा नंबर 2546 रकबा 0.90 है०, खसरा नंबर 2547 रकबा 0.06 है०, खसरा नंबर 2550 रकबा 0.18 है0 खसरा नंबर 2551 रकबा 0.42 है0 की तहसील नांगलराजावतान, जिला दौसा की सीमाज्ञान किये जाने व पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे। उक्त प्रार्थना पत्र को पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना प्रभावित पडौसी अपीलान्ट व अन्य खातेदारान को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना तथा उक्त भूमि के अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे गड़बड़ी कर अंकन कर देने की दुरुस्ती बाबत उक्त भूमि के संबंध मे प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान द्वारा उपखण्ड अधिकार नांगलराजावतान की अदालत में दुरुस्ती व अधिघोषणा का वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विचारधीन होने व उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में उक्त भूमि की राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने के लिये अप्रार्थीगण पाबन्द होने के बावजूद भी कानून के विपरीत उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने के बावजूद भी तथा भूमि विवादित होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.07.2022 को प्रार्थना पत्र पत्थरगड़ी स्वीकार फरमाकर खसरा नंबर 2546, 2547, 2550 2551 वाके ग्राम खवारवजी, तहसील नांगलराजावतान की पत्थरगडी कराने हेतु अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर मय पुलिस इमदाद नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाकर पतथरगढी करवाना सुनिश्चित करने का आदेश पारित फरमा दिया जिसकी अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवारजन को कतई जानकारी नही थी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना नेचूरल जस्टिस का उलंघन कर उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है । उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम गलत अंकन हो रहा है उक्त भूमि सेटलमेनट पूर्व व एकीकरण पूर्व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि थी जिसका रिकार्ड मे गडबडी कर उक्त भूमि का अप्रार्थीगण की खातेदारी मे इन्द्राज कर दिया। उक्त भूमि पर मौके पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवारजन का कब्जा है जिसको दुरूस्ती करने

के लिये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण ने उक्त भूमि के संबंध मे अधिघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज का केस अनुवानी रामधन बनाम पूनी देवी का पेश कर रखा है। उक्त दावा के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिती यथावत बनाये रखने का आदेश पारित कर रखा था किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि विवादित होने के बावजूद तथा उनके न्यायालय से स्टे होने के बावजूद प्रार्थीगण को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना पत्थरगडी करने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने स्वंय ने अपने प्रार्थना पत्र में पडौसी काश्तकारान के बाबत स्पष्ट विवाद बताया है किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाकर और उक्त निर्णय किया है यदि अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाता तो अपीलान्ट अपना जवाब देते किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये बिना सरसरी तौर पर मात्र जमाबंदी को देखकर उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट पडोसी काश्तकार है तथा अपीलान्ट की भूमि में से गलत तरीके से काटकर उक्त भूमि का रिकार्ड में इन्द्राज अप्रार्थीगण के नाम अंकित कर रखा है उक्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे पर मौके पर अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवारजन का कब्जा है अपीलान्ट ने अपनी स्वयं की भूमि और उक्त भूमि को मिलाकर एक चक बना रखा है रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगा0 7 का उक्त भूमि के एक भी इंच भू भाग पर कब्जा नही है किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायलय ने इस किसी भी बिन्दु पर गोर नही करके और रेस्पो. नंबर 1 ने उक्त समस्त तथ्यों को छिपाकर अपीलान्ट को नुकसान पहुचाने के लिये अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना उक्त निर्णय पारित करवाया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य उक्त भूमि बाबत मुकदमे चल रहे हैं जिसका अंकन जमाबंदी पर भी हो रहा है जिसको छिपाकर तथा झूठे आधारो पर उक्त आदेश पारित करवाया है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान दिनांक 20.07.2022 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी क्यों कि उक्त निर्णय अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी सर्वप्रथम 10.07.2023 को पटवारी मौके पर आया तथा पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण से कहा कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान करने का उप जिला कलेक्टर महोदय की कोर्ट से आदेश है। मैं सीमाज्ञान करूंगा तो प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से कहा कि उक्त भूमि बाबत तो हमारे केस चल रहा है उक्त भूमि का सीमाज्ञान का आदेश कैसे करवा लिया तो पटवारी हल्का ने कहा कि आप तहसीलदार जी से मिलो तो प्रार्थी पटवारी हल्का के साथ ही तहसीलदार जी के पास आ गये तथा उनसे निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने बताया कि हमारे पास तो उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान का आदेश है और हम तो पत्थरगडी करेगे तो प्रार्थीगण ने तहसीलदार जी से आदेश की नकल देने के लिये कहा तो उन्होने नकल देने से मना कर दिया तथा कहा कि आप उप जिला कलेक्टर कोर्ट में जाकर तलाश करो तो अपीलान्ट दिनांक 11.07.2023 को ही उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान की अदालत मे गये तथा वहाँ तलाश किया तथा नकल के लिये आवेदन पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 11.07.2023 को मिली तब सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी तब अधिवक्ता नियुक्त कर जानकारी से अन्दर मयाद अपील श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान दिनांक 20.07.2022 को निरस्त फरमाने की कृपा करे ।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील का विरोध करते हुए कथन किया कि ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नंबर 2546 रकबा 0.90 है0, खसरा नम्बर 2547 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 2550 रकवा 0.18 है०, खसरा नम्बर 2551 रकबा 0.42 है0 है। जिसकें रेस्पोडेन्ट्स खातेदार व काबिज काश्तकार है तथा रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। जिस पर रेस्पोडेन्ट्स अपने पूर्वजों के समय से काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त भूमि में किसी दीगर का कोई लेना

देना वास्ता सरोकार नहीं है। पूर्व में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिस पर दिनांक 25.05.2022 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान करके मौका रिपोर्ट मौके पर ही तैयार की गई थी । जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न की गई है। इसके बावजूद भी पडौसी खातेदार अनावश्यक रूप से सीमा विवाद उत्पन्न करते है इसलिए रेस्पोडेन्ट्स अपनी उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि की पत्थरगढी करवाकर चिन्ह अंकित करवाना हेतु न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान द्वारा स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में निर्णय दिनांक 20.07.2022 पारित किया गया था। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान दिनांक 20.07.2022 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है। जिसके कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है। अतः माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों को नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूप अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम रूपये 1000/–अक्षरे एक हजार रूपये की कोश्ट पर स्वीकार किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगलराजावतान जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसके कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर, नांगलराजावतान में उक्त प्रकरण के संबंध में एक अन्य वाद रामधन बनाम पूनी देवी उभय पक्ष के मध्य विचाराधीन होने के बावजूद अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना पक्षकार संयोजित किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2022 पारित किया गया है। जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे हैं। फलतः अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2022 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर, नांगलराजावतान दिनांक 20.07.2022 को खारिज किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन दावा घोषणा/इन्द्राज–दुरूस्ती के आलोक में समरी जांच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर